विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में श्रावणी मेला–2026 की जिलावार स्थानीय तैयारियों, व्यवस्थाओं एवं आवश्यकताओं से संबंधित समीक्षात्मक बैठक दिनांक–01.06.2026 की कार्यवाही।

दिनांक–01.06.2026 को विकास आयुक्त, बिहार कीं अध्यक्षता में श्रावणी मेला, 2026 की स्थानीय तैयारियों, व्यवस्थाओं एवं आवश्यकताओं से संबंधित V.C के माध्यम से संबंधित जिलावार समीक्षा बैठक आहूत की गई।

I. **श्रावणी मेला–2026 की स्थानीय तैयारियों, व्यवस्थाओं एवं आवश्यकताओं से संबंधित जमुई, लखीसराय, मधुबनी, पूर्णिया, पूर्वी चम्पारण, जहानाबाद एवं बेगूसराय के जिला पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता/पुलिस अधीक्षक एवं अन्य पदाधिकारी दिनांक–01.06.2026 को अपराह्न 3.00 बजे V.C के माध्यम से बैठक में उपस्थित हुए।**

बैठक में सर्वप्रथम विकास आयुक्त, बिहार द्वारा V.C. के माध्यम से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रांरभ की गई।

- **विकास आयुक्त, बिहार द्वारा बताया गया कि** राज्यान्तर्गत श्रावणी मेला के आयोजन के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पूर्व में समीक्षा की गई थी, जिसमें सभी विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे। उक्त बैठक में निदेश प्राप्त हुआ है कि सभी विभाग अपने स्तर से लगातार समीक्षा करें और जिलावार आवश्यकताओं की पूर्ति ससमय कर लिया जाय।

  इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से विभागवार एक प्रपत्र उपलब्ध कराया गया है। पूर्वी चम्पारण को छोड़कर सभी जिलों द्वारा श्रावणी मेला, 2026 से संबंधित सभी आवश्यकताओं एवं उपलब्धता संबंधी विवरण भर के दर्ज कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसकी गहन समीक्षा की गई। विहित प्रपत्र अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

- **समाहर्त्ता, जमुई** द्वारा बताया गया कि जमुई जिला में कावरियों का आगमन गाड़ी से अधिक होता है। दो क्षेत्र गंगटा और हटिया जो वन क्षेत्र है, जहां पर रास्ता सकरा होने के कारण समस्या की संभावना होती है। चकाई से देवघर और हटिया वाला रास्ता थोड़ा ज़्यादा खराब है उसे ठीक कराने की आवश्यकता है। प्रकाश की समुचित व्यवस्था कर ली जायेगी। समाहर्त्ता द्वारा यह भी बताया गया कि जमुई जिलान्तर्गत तीन प्रमुख शिवालय है। श्रावणी मेला के अवसर पर आवश्यकतानुसार श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु सहायता केन्द्र, खोया–पाया केन्द्र, कंट्रोल रूम की स्थापना की जाती है तथा मेले में उद्घोषणा प्रणाली एवं सी0सी0टी0वी0 से

237

निगरानी की व्यवस्था की जाती है। मेला क्षेत्र में साफ–सफाई, पेयजल, शौचालय, प्रकाश, इत्यादि की व्यवस्था की जाती है, जिसकी पर्याप्त संख्या में उपलब्धता है। संवेदनशील स्थलों की पहचान कर ली गई है। उक्त स्थलों पर बैरिकेडिंग, चेतावनी, सूचना बोर्ड की व्यवस्था की गई है तथा समय–समय पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाती है। अन्य सभी तैयारियां की जा रही है, जिसे समसय पूरा कर लिया जायेगा।

- **अपर समाहर्त्ता, बेगूसराय** द्वारा बताया गया कि मेला क्षेत्र में साफ–सफाई, पेयजल, शौचालय, इत्यादि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। विधि–व्यवस्था के संधारण हेतु 900 पुलिस बल एवं होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति की जाती है, जिसे आंतरिक एकत्रीकरण द्वारा पूर्ण किया जाता है। साफ–सफाई हेतु पर्याप्त संख्या में सफाई कर्मियों की दो पालियों में प्रतिनियुक्ति की जाती है। चिकित्सा सुविधा हेतु 12 अस्थायी चिकित्सा केन्द्र स्थपित किये जाते है, जिसमें 24X7 चिकित्सा केन्द्रों की संख्या 04 है। पर्याप्त संख्या में चिकित्सक, ए0एन0एम0/जी0एन0एम0 की प्रतिनियुक्ति की जाती है। आवश्यक दवाईयों, ग्लूकोज, ओ0आर0एस0, प्राथमिक उपचार सामग्री की उपलब्धता रहती है। समय–समय पर गंगा नदी, बायानदी एवं बुढ़ी गंडक नदियों के जल स्तर, कटाव/धसान की स्थिति की निगरानी की जाती है। प्रकाश की समस्या रहती है, जिसकी व्यवस्था प्रखंड एवं पंचायत स्तर से करा दी जाय। अन्य सभी तैयारियां की जा रही है, जिसे ससमय पूरा कर लिया जायेगा।

- विकास आयुक्त, बिहार द्वारा निदेश दिया गया कि इसकी व्यवस्था नगर विकास विभाग के द्वारा ही करायी जाएगी।

- **समाहर्त्ता, लखीसराय** द्वारा बताया गया कि हमलोगों ने तैयारी की समीक्षा अपने स्तर से कर ली है। श्रद्धालुओं की मूलभूत सुविधा संबंधी सभी कार्यो की उचित व्यवस्था एवं प्रबंध कर लिया गया है। जिले में श्रावणी मेला आयोजन का प्रमुख धार्मिक स्थल अशोक धाम, श्रृंगीऋषि धाम, जलप्पा स्थान, रामेश्वर धाम, गौरीशंकर धाम होने की सूचना दी गई। अशोक धाम शिवालय में जलाभिषेक करने दूर–दूर से श्रद्धालु पहुंचते है। मेला अवधि में प्रत्येक सोमवार को लगभग 2–3 लाख श्रद्धालुगण पूजा अर्चना करने यहां आते है। समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि श्रद्धालुओं के लिए मूलभूत सभी सुविधाओं यथा–विश्रामालय, पेयजल, स्थायी शौचालय, साफ–सफाई, चिकित्सा व्यवस्था, एम्बुलेंस, वाटरप्रुफ पंडाल, प्रकाश की समुचित व्यवस्था, पार्किंग स्थल इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। श्रावणी मेला के अवधि में आवागमन

बढ़ेगा। बाईपास वाला पुल में क्रैक आने के कारण समस्या हुई है। इस पुल का काम शुरू होने ही वाला है और इसमें 20–25 दिन ही लगना है। पथ निर्माण विभाग द्वारा थोड़ा जल्दी कार्य पूर्ण हो जाए तो अच्छा होगा। अन्य सभी तैयारियां की जा रही है, जिसे समसय पूरा कर लिया जायेगा।

उप विकास आयुक्त, पूर्णिया द्वारा बताया गया कि बाबा धीमेश्वर स्थान धाम है, जहां मनीहारी से कॉवरियां लोग जल लेकर आते हैं। सामान्य दिन में 15–20 हजार और सोमवार को 75 हजार की संख्या में लोग जल चढ़ाने आते हैं। सभी चीजों की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जाती है। पूर्णिया जिलान्तर्गत इसके अलावे कुछ और मंदिर है जहां लोग कांवर लेकर जल चढ़ाने आते हैं वहां भी तैयारी की जा रही है और पुलिस बल एवं दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी की जाती है। श्रद्धालुओं/कांवरियों हेतु चिकित्सा सुविधा हेतु 02 अस्थायी चिकित्सा केन्द्र स्थपित किये जाते है, इसके अतिरिक्त 24X7 चिकित्सा केन्द्रों की संख्या 01 है। पर्याप्त संख्या में चिकित्सक, ए0एन0एम0/जी0एन0एम0 की प्रतिनियुक्ति की जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में आवश्यक दवाईयों, ग्लूकोज, ओ0आर0एस0, प्राथमिक उपचार सामग्री की उपलब्धता रहती है। सभी मूलभूत सुविधाओं यथा– पेयजल, स्थायी शौचालय, साफ–सफाई, चिकित्सा व्यवस्था, एम्बुलेंस, वाटरप्रुफ पंडाल, प्रकाश की समुचित व्यवस्था की जाती है।

- **विकास आयुक्त, बिहार** द्वारा निदेश दिया गया कि धीमेश्वर धाम में अगर इतनी संख्या में श्रद्धालु जल चढ़ाने आते है तो जिला स्तर से संयुक्त आदेश निर्गत किया जाय तथा सभी सुरक्षा मानको को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की जाय ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे।

- **अपर समाहर्त्ता, मधुबनी** द्वारा बताया गया कि भैरवां स्थान श्रावणी मेला क्षेत्र संवेदनशील है। इसके अलावा एकादश रूद्राक्ष महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। विधि व्यवस्था के संधारण हेतु पर्याप्त संख्या में पुलिस बल एवं दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाती है। मेला क्षेत्र में साफ–सफाई, पेयजल, अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। जिला स्तर से सभी तैयारी ससमय कर ली जाएगी।

- **अपर समाहर्त्ता, पूर्वी चंपारण** द्वारा बताया गया कि अरेराज स्थित बाबा सोमेश्वरनाथ मंदिर में पुरे माह जलाभिषेक होते रहता है, जिसमें 2–2.5 लाख कॉवरियां आते हैं। मेला अवधि में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है तथा विधि व्यवस्था के संधारण एवं भीड़ नियंत्रण हेतु 250 पुलिस बल एवं 140 दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की

(235)

जाती है। सी0सी0टी0वी0 के माध्यम से सतत् निगरानी की जाती है। श्रावणी मेला से संबंधित सभी तैयारियां की जा रही है, जिसे ससमय पूर्ण कर लिया जायेगा।

- **विकास आयुक्त, बिहार** द्वारा निदेश दिया गया कि सोमेश्वर नाथ धाम बड़ा मेला है, इसके लिए सभी तैयारियां ससमय कर लिया जाय। अगर किसी प्रकार की आवश्यकता हो, तो विभाग को अवगत कराया जाय।

- **अपर समाहर्त्ता, जहानाबाद** द्वारा बताया गया कि बराबर श्रावणी मेला क्षेत्र में पातालगंगा की ओर से मेला क्षेत्र में जाने हेतु सीढ़ियों और रेलिंग निर्माण कार्य अंतिम चरण में है, जिसे आगामी एक माह में पूर्ण कर लिया जाएगा तथा दूसरे रास्ते का झाड़ी सफाई का कार्य ससमय पूर्ण कर लिया जायेगा। विधि व्यवस्था एवं भीड़ नियंत्रण हेतु पर्याप्त संख्या में पुलिस बल एवं दंडाधिकारी की नियुक्ति की जाती है। नियंत्रण कक्ष स्थापित कर मेला क्षेत्र की निगरानी की जाती है तथा उद्घोषणा प्रणाली द्वारा महत्वपूर्ण सूचनाएं भी दी जाती है, जिससे भीड़ जमा होने की स्थिति उत्पन्न ना हो सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में साफ–सफाई हेतु पर्याप्त संख्या में सफाई कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है। मेला अवधि में सभी मूलभूत सुविधाएं यथा– पेयजल, शौचालय, साफ–सफाई, चिकित्सा व्यवस्था, प्रकाश की समुचित व्यवस्था की जाती है। एवं टेंट की व्यवस्था की जाती है। जिला प्रशासन द्वारा तैयारी की जा रही है, जिसे ससमय पूरा कर लिया जायेगा।

- **विकास आयुक्त, बिहार** द्वारा निदेश दिया गया कि श्रावणी मेला से संबंधित सभी प्रकार की तैयारियों एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर ली जाय तथा किसी भी आवश्यकताओं हेतु विभाग को अवगत कराया जाय तथा समन्वय स्थापित कर समाधान कर लिया जाय।

II **श्रावणी मेला–2026 की स्थानीय तैयारियों, व्यवस्थाओं एवं आवश्यकताओं से संबंधित भागलपुर, मुंगेर, बांका, सारण, वैशाली एवं मुजफ्फरपुर के जिला पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता/पुलिस अधीक्षक एवं अन्य पदाधिकारी** दिनांक–01.06.2026 को अपराह्न 3.30 बजे V.C के माध्यम से बैठक में उपस्थित हुए।

बैठक में सर्वप्रथम विकास आयुक्त, बिहार द्वारा अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग एवं V.C के माध्यम से जुड़े हुए सभी जिला स्तर के पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रांरभ की गई।

- बैठक में उपस्थित अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बताया गया कि वह पिछले 9 वर्षों से लगातार कॉवरियां पथ से जल चढ़ाने देवघर जाते रहे हैं। इस संदर्भ में बांका जिला द्वारा पिछली बार बहुत ही अच्छा काम किया गया था। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निम्न सुझाव दिये गये :–

1. बांका जिला में कांवरिया पथ का विस्तार बहुत लंबा है। इस रास्ते पर यदि महीन बालू डाला जाए तो बहुत अच्छा होगा, परन्तु बारिश होने पर बालू बह जाने के कारण थोड़ी समस्या होती है। बारिश में बालू बहने के बाद पुनः बालू बिछाने का कार्य किया जाय।
2. बांका और मुंगेर जिला के कांवरिया पथ में लाइटिंग की बहुत ज्यादा समस्या होती है। इसे दूर कर लिया जाना चाहिए।
3. शौचालय के साफ–सफाई की बहुत ज्यादा आवश्यकता है।
4. कांवरिया पथ में प्रतिनियुक्त पुलिस बल को अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन किया जाना चाहिए। सभी पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया गया कि इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रतिनियुक्त पुलिस बल को एलर्ट मोड में रहने का निदेश दिया जाय। रात्रि के समय लगातार गश्ती की जानी चाहिए। जहां भीड़–भाड़ की स्थिति बनती है, वहां भी पूरी तरह से तैनात रहना चाहिए।

- **विकास आयुक्त, बिहार** द्वारा संबंधित जिलों से कहा गया कि अगर राज्य स्तर से किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता हो तो ससमय सूचित करें।

समाहर्त्ता, बांका द्वारा बताया गया कि बांका जिलान्तर्गत कांवरिया पथ का 55–56 कि0मी0 का रास्ता है। उसके लिए एक फिडर का काम चल रहा है, पूरा करके लाईटिंग की समस्या को दूर कर ली जायेगी। सम्पूर्ण कॉंवरिया पथ में 03 इंच मोटाई तथा 15 फीट चौड़ाई में बालू बिछाया जायेगा तथा बारिश में इसके बहने के उपरांत पुनः बालु बिछाने का कार्य किया जायेगा। कॉंवरियों तथा श्रद्धालुओं द्वारा गुजरने वाले जिलान्तर्गत सभी सड़क मार्गों की मरम्मति एवं उन्नयन कार्य कर लिया जायेगा। कॉंवरिया पथ में पेयजल की आपूर्ति हेतु चापाकल व्यवस्था, स्नानागार की व्यवस्था, स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था तथा चलंत टैंक द्वारा जलापूर्ति की व्यवस्था की जायेगी।

233

काँवरिया पथ में निर्वाध विद्युत आपूर्ति एवं प्रकाश की व्यवस्था की जायेगी तथा विद्युतजनित दुर्घटना नही हो इसके लिये सभी अपेक्षित कार्रवाई पूर्ण करने यथा–जर्जर तारों को हटाकर नया तार लगाया जाना, झुलते हुए तार की ऊँचाई ठीक किया जाएगा, इत्यादि। काँवरिया पथ में सौर ऊर्जा की व्यवस्था भी की जायेगी। ओवरलोडिंग यात्री वाहनों पर रोक एवं माल ढोने वाले वाहनों की गति पर नियंत्रण लगाने एवं उँची बसों के परिचालन के कारण, इलेक्ट्रोक्यूशन होने से जान–माल की क्षति को रोकने हेतु वैसे वाहनों की जाँच कर परिचालन पर रोक लगाने हेतु दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति ससमय कर दी जायेगी। वाहन पार्किंग की व्यवस्था की जायेगी।

बांका जिलान्तर्गत 65 कि0मी0 भाया–कटोरिया–काँवरिया पथ एवं भाया बौसी–बासुकीनाथ पथ 50 कि0मी0 क्षेत्र में 21 अस्थायी चिकित्सा शिविर एवं 24 घंटे चिकित्सा हेतु 21 चिकित्सा केन्द्र की व्यवस्था की जायेगी। पर्याप्त संख्या में चिकित्सक, ए0एन0एम0 / जी0एन0एम0 की प्रतिनियुक्ति की जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में आवश्यक दवाईयों, ग्लूकोज, ओ0आर0एस0, प्राथमिक उपचार सामग्री की उपलब्धता रहती है। पहाड़ी / वन क्षेत्र में सेल्फी लेने में निगरानी तथा मौसम पूर्व चेतावनी को लेकर अलर्ट मैसेज की सूचना को माईकिंग के माध्यम से प्रचार–प्रसार का प्रबंध किया जायेगा। राहत एवं बचाव कार्य के लिए एस0डी0आर0एफ0 टीम की प्रतिनियुक्ति तथा गोड़ियारी नदी में तैराक / गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी। बज्रपात, आगजनी की घटना, सर्पदंश, विद्युत स्पर्शाघात, भगदड़ इत्यादि से बचाव के लिए समुचित प्रबंध किये जायेंगे। सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति, यातायात पुलिस की प्रतिनियुक्ति तथा 24X7 की तर्ज पर नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था की जायेंगी। बैठक में समाहर्त्ता, बांका द्वारा विधि व्यवस्था के संधारण हेतु पर्याप्त पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति का अनुरोध किया गया। इस संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में युक्तियुक्त अधियाचना प्रेषित करने का निदेश दिया गया।

सुलतानगंज से देवघर के कांवरिया पथ के कुल–105 कि0मी0 में से 55 कि0मी0 का रूट बांका का ही पड़ता है। पिछले वर्ष मेला हेतु 1 करोड़ 60 लाख रूपये की अधियाचना की गई थी, जिसमें से 1 करोड़ रूपया मिला था। अगर इस वर्ष 1 करोड़ 60 लाख रूपये का आवंटन मिल जाता तो बेहतर ढंग से कार्य किया जा सकता।

- **समाहर्त्ता, मुंगेर** द्वारा बताया गया कि श्रावणी मेला, 2026 में कांवरियां की सुविधा हेतु आवश्यक तैयारियां की जा रही है। कॉंवरिया पथ में अधिष्ठापित सभी चापाकलों एवं शौचालयों को यथाशीघ्र चालू कर लिया जायेगा। कॉंवरिया पथ के किनारे स्वच्छ जलापूर्ति हेतु 09 आर0ओ0 संस्थापित है। जिलान्तर्गत कॉंवरिया पथ में 30 शौचालय कॉम्प्लेक्स, 15 महिला स्नानागार, 08 झरना का निर्माण किया गया है, जिसकी साफ–सफाई एवं मरम्मति ससमय करा ली जाएगी। पर्याप्त संख्या में महिला एवं पुरूष शौचालय निर्मित हैं, जिसकी साफ–सफाई एवं मरम्मति करा कर ससमय चालू करा दिया जाएगा।

विधि व्यवस्था के संधारण हेतु 24X7 की तर्ज पर सुरक्षा, सघन पेट्रोलिंग तथा नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था की जा रही है। जिलान्तर्गत कांविरया मार्ग को 04 सेक्टरों में विभाजित कर जगह–जगह थाना/पुलिस चौकी की व्यवस्था/जीप एवं गश्ती दल की व्यवस्था की जा रही है। इस वर्ष लाईटिंग की पर्याप्त व्यवस्था कर ली जायेगी। जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग द्वारा टेंट सिटी लगाया जाता हैं। भीड़ बहुत होती है, यदि पर्यटन विभाग के द्वारा दो अतिरिक्त टेंट सिटी लगा दिए जाए तो बेहतर होगा।

- **समाहर्त्ता, भागलपुर** द्वारा बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा भागलपुर में श्रावणी मेला, 2026 के आयोजन संबंधी समीक्षा बैठक की गयी है। श्रद्धालुओं एवं कावरियों के लिए मूलभूत सुविधाएं यथा–सफाई व्यवस्था, शौचालय, स्नानागार, पेय जलापूर्ति, विश्रामालय, टेंट –पंडाल, निरंतर विद्युत आपूर्ति, प्रकाश की समुचित व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, अग्निशमन व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, विधि व्यवस्था संधारण, इत्यादि की व्यवस्था कर ली गई है। सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में विद्युत प्रवाह वाले सभी तारों की जांच कराना तथा कोई भी विद्युत तार ढ़ीला नहीं रहे, इसकी गहन रूप से समीक्षा कर ली गयी है तथा इसका कार्य प्रगति पर है।

सम्पूर्ण मेला क्षेत्र को 10 सेक्टर में बॉंट कर मुख्य मेला क्षेत्र में तीन पालियों में स्वच्छता का कार्य कराया जायेगा। सभी सार्वजनिक शौचालयों की सफाई एवं संचालन की व्यवस्था की जायेगी। चूना–ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव तथा फॉगिंग एवं कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जायेगा। नगर क्षेत्र अन्तर्गत अस्थायी शौचालयों का प्रबंधन किया जायेगा तथा मेला क्षेत्र में खुले में शौच, इत्यादि के रोकथाम की व्यवस्था की जायेगी।

सीढ़ी घाट एवं जहाज घाट का गंगा नदी जनित कटाव एवं जल प्रवाह से असुरक्षित हो जाने को दृष्टिगत रखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 04 मोटरबोटों के साथ 36 SDRF जवान की प्रतिनियुक्ति, गंगा घाटों पर गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति, महत्वपूर्ण घाटों पर

231

SDRF की प्रतिनियुक्ति, साथ–साथ घाटों पर बैरिकेडिंग एवं जियो बैग लगाने की भी व्यवस्था की जायेगी। नाव–नाविक एवं गोताखोरों की व्यवस्था पूर्ण कर ली जायेगी। गंगा नदी में बोट पेट्रोलिंग के माध्यम से सतत् निगरानी की व्यवस्था की जायेगी तथा बोट एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जायेगी।

बड़े एवं छोटे वाहनों के लिए अलग–अलग पार्किंग स्थल चिन्हित एवं निर्माण कराया जायेगा। भीड़ नियंत्रण के लिए संवेदनशील स्थलों को चिन्हित कर ससमय दंडाधिकारी सहित पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जायेगी। जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां की जा रही है, जिसे ससमय पूर्ण कर लिया जायेगा। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर विभाग से समन्वय स्थापित कर उसका समाधान कर लिया जायेगा।

- **समाहर्त्ता, सारण** द्वारा बताया गया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी जिला प्रशासन द्वारा श्रावणी मेला के आयोजन हेतु तैयारियां की जा रही है, जिसे ससमय पूरा कर लिया जायेगा। विधि–व्यवस्था के संधारण एवं भीड़ नियंत्रण हेतु पुलिस बल एवं दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी तथा नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जायेंगे। चिकित्सा सुविधा हेतु पर्याप्त संख्या में चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी प्रतिनियुक्त किये जाते है एवं पर्याप्त मात्रा में आवश्यक दवाईयों की उपलब्धता है। श्रावणी मेला में प्रत्येक वर्ष 2.5 लाख रूपये का ही आवंटन प्राप्त होता है, जो बैरिकेडिंग में खत्म हो जाता है। इसलिए अधिक राशि की अधियाचना विभाग को भेजी जायेगी, अगर अधिक राशि का आवंटन प्राप्त होता है तो सभी तैयारियां अच्छे तरीके से हो जाएगी।

- **अपर समाहर्त्ता, वैशाली** द्वारा बताया गया कि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं ससमय पूर्ण कर ली जाएगी। विशेष कर लाईटिंग, सी0सी0टी0वी0 कैमरा भी लगाया जाता है। मेला अवधि में सभी मूलभूत सुविधाएं यथा– पेयजल, शौचालय, साफ–सफाई, चिकित्सा व्यवस्था, प्रकाश की समुचित व्यवस्था की जाती है। श्रावणी मेला हेतु आवंटन कम प्राप्त होता है। अधिक राशि होगी तो सभी तैयारियां करने में कोई समस्या नहीं होगी।

- **विकास आयुक्त, बिहार** द्वारा निदेश दिया गया कि वैसे स्थानों पर जहां ज्यादा भीड़–भाड़ की स्थिति बनती हो वहां सी0सी0टी0वी0 कैमरा पर ज्यादा फोकस करना है, रास्तों में भी जहां अंधकार रहता है, उस जगह भी अच्छी व्यवस्था की जाय।

- **समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर** द्वारा बताया गया कि जिलान्तर्गत नगर क्षेत्र में स्थित बाबा गरीबनाथ मंदिर तथा नगर क्षेत्र से अलग स्थित बाबा खगेश्वरनाथ मंदिर परिसर में श्रावणी मेला का वृहत् आयोजन एवं संचालन पूरे सावन माह तक जारी रहता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु एवं काँवरिया गंगाजल तथा गंडक नदी के जल से दोनों मंदिरों में जलाभिषेक करते है। विशेषकर, गंगा नदी के पहलेजा घाट (सोनपुर) से हाजीपुर होते हुए मुजफ्फरपुर बाबा गरीबनाथ स्थान मंदिर में गंगा जल से जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं एवं काँवरियों की संख्या काफी अत्यधिक होती है। हाजीपुर–मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर काँवरियों की अनवरत पंक्तिबद्ध कतार पूरे सावन माह जारी रहती है, जिससे यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित कर One Way किया जाता है। विधि–व्यवस्था के संधारण एवं भीड़ नियंत्रण हेतु पुलिस बल एवं दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।

- मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत हाजीपुर–मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के उपर से जाने वाले सभी विद्युत के तारों को सुव्यवस्थित कर दिया गया है ताकि विद्युतजनित कोई दुर्घटना नहीं हो। श्रावणी मेला से संबंधित सभी प्रकार की तैयारियां की जा रही हैं, जिसे ससमय पूरा कर लिया जाएगा। पर्यटन विभाग के द्वारा गत वर्ष से आर0डी0एस0 कॉलेज में टेंट सिटी लगाया जाना शुरू किया गया है, इस बार भी लगाया जायेगा, जिससे काफी सुविधा मिलती है। द्वितीय और तृतीय सोमवारी को कुछ ज्यादा भीड़ की स्थिति रहती है। पूरी तरह से सी0सी0टी0वी0 से निगरानी की जाती है। भीड़ की स्थिति में रास्ते को भी डायवर्ट किया जायेगा।

विकास आयुक्त, बिहार द्वारा निदेश दिया गया कि मंदिरों में श्रद्धालुओं के प्रवेश एवं निकास हेतु अलग–अगल रास्ते की व्यवस्था की जाय। विशेष रूप से सी0सी0टी0वी0 के माध्यम से निगरानी की जानी है तथा इसकी व्यवस्था ससमय कर लिया जाय। श्रावणी मेला के सफल एवं सुव्यवस्थित संचालन हेतु पर्याप्त संख्या में पुलिस बल एवं दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाय। क़ांवरिया पथ एवं मेला क्षेत्र में पेयजल, शौचालय, प्रकाश इत्यादि मूलभूत सुविधाओं के साथ–साथ पर्याप्त संख्या में चिकित्सा शिविर, चिकित्सक, ए0एन0एम0, एम्बुलेंस, आवश्यक दवाइयां इत्यादि की व्यवस्था की जाय। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता तथा खाद्य पदार्थों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के दर की जाँच की जाय। श्रावणी मेला की तैयारियों एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा अच्छी तरह से कर ली जाय तथा आवश्यकताओं के पूर्ति हेतु

(229)

संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर ससमय पूर्ण ली जाय। ससमय संयुक्त आदेश निर्गत किया जाए ताकि विधि–व्यवस्था संधारण में किसी प्रकार की चूक नहीं हो।

- **अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग** द्वारा बताया गया कि विभाग स्तर से सभी जिलों से श्रावणी मेला के आयोजन एवं व्यवस्था हेतु अधियाचना विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, परन्तु जिला स्तर से अधियाचना विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस संबंध में अनुरोध किया गया कि यथाशीघ्र अधियाचना विभाग को उपलब्ध कराया जाय। साथ ही, गत वर्ष विभाग स्तर से आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही का समापन किया गया।

03/06		
(प्रशांत कुमार सी.एच.) अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।	(जय सिंह) सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।	(मिहिर कुमार सिंह) विकास आयुक्त, बिहार।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–9/श्रावणी मेला–IV–05/2026–1515(9)/रा0, पटना दिनांक–08/06/2026

ई–मेल

प्रतिलिपिः– प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल/मुंगेर प्रमंडल/तिरहुत प्रमंडल/सारण प्रमंडल/पूर्णियाँ प्रमंडल/दरभंगा प्रमंडल एवं मगध प्रमंडल, गया/ समाहर्त्ता, भागलपुर /मुंगेर/बांका/जमुई/बेगूसराय/लखीसराय/मुजफ्फरपुर/पूर्वी चम्पारण/वैशाली/ सारण/ पूर्णियॉ/ मधुबनी एवं जहानाबाद/पुलिस अधीक्षक, भागलपुर/ मुंगेर /बांका /जमुई/बेगूसराय/लखीसराय/मुजफ्फरपुर/पूर्वी चम्पारण/वैशाली/ सारण/ पूर्णियॉ/ मधुबनी एवं जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मोना झा)
उप निदेशक,
सर्वेक्षण कार्यालय।

ज्ञापांक–9 / श्रावणी मेला–IV–05 / 2026–1515(9) / रा0, पटना दिनांक–08/06/2026

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, वित्त विभाग / गृह विभाग / ऊर्जा विभाग / भवन निर्माण विभाग / परिवहन विभाग / स्वास्थ्य विभाग / पथ निर्माण विभाग / लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग / नगर विकास एवं आवास विभाग / खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग / पर्यटन विभाग / सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग / आपदा प्रबंधन विभाग / जल संसाधन विभाग / निदेशक, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना एवं अध्यक्ष, बिहार पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, विद्युत भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/6/26

(मोना झा)
उप निदेशक,
सर्वेक्षण कार्यालय।

ज्ञापांक–9 / श्रावणी मेला–IV–05 / 2026–1515(9) / रा0, पटना दिनांक–08/06/2026

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी / विकास आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव / पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

08/6/26

(मोना झा)
उप निदेशक,
सर्वेक्षण कार्यालय।

ज्ञापांक–9 / श्रावणी मेला–IV–05 / 2026–1515(9) / रा0, पटना दिनांक–08/06/2026

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव / माननीय मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना / सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

08/6/26

(मोना झा)
उप निदेशक,
सर्वेक्षण कार्यालय।